

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर टी.आई/168/2013

तारीख रजु 18.12.2013

उनवान

कल्लाराम पुत्र निहाल सिंह जाति जाट निवासी महुखास तहसील
हिण्डौन सिटी जिला करौली।

-----सायल

बनाम

हरिसिंह पिसरान वगै. जाति जाट निवासी महुखास तहसील हिण्डौन
सिटी जिला करौली

-----गैरसायलान (02)

उपस्थिति:-

वादीगण की ओर से :- श्री संतोष कुमार मुदगल एडवोकेट।
प्रतिवादीगण की ओर से :- मदनमोहन शर्मा एडवोकेट


निर्णय

दिनांक 4.12.2019

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि सायल की ओर
वकालतन एक प्रार्थनापत्र ग्राम महुखास तहसील हिण्डौन सिटी की भूमि
खसर नं 519,576,1243,1244 की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.
एक्ट का पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को
जरिए नोटिस तलब किया। इसी दौरान सायल के द्वारा
प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि सायल प्रार्थना पत्र नहीं चलाना
चाहते हैं। प्रार्थना पत्र नोट प्रेस में खारिज चाहा है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र मुकदमा नंबर 168/2013
कल्लाराम बनाम गिरधारी बगै0 नोट प्रेस में खारिज किया जाता है।
निर्णय आज दिनांक 04.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर
लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर
हो।


04.12.19
(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

